

In the court of Sub-Judge 16th
Vaishali at Hajipur
T.S.- 106 / 2018
BRVA030003602018

मीरा देवी.....वादिनी

बनाम्

शिवजी प्रसाद चौधरी और अन्य.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता— मणिभूषण प्रसाद

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता—राजेश कुमार श्रीवास्तव

21.11.19

वादी एवं प्रतिवादीगण की हाजरी दी गई। उभयपक्षों में सुलह हो गया है। उभयपक्षों द्वारा सुलहनामा दाखिल किया गया है। दोनों पक्षों ने अपने सुलहनामा के आलोक में कथन किया है कि राजी-खुशी से सुलह कर लिया है। सुलहनामा का मजमुन दोनों पक्षों के हिदायत में लिखा गया है। सुलहनामा के आधार पर वाद का फैसला हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुलहनामा पर सिरिस्तेदार की रिपोर्ट आ चुकी है। सिरिस्तेदार की रिपोर्ट के अनुसार सुलहनामा सही है। उभयपक्षों ने सुलहनामों को शपथ-पत्र द्वारा समर्पित किया है। अतः वाद सुलहनामों के आधार पर निर्णित किया जाता है। सुलहनामा डिक्री का अंश होगा।

लेखापित,

अ0 न्या0—16

21.11.19